न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 39/2012

अनवान

विजय धनानी पुत्र फतेहसिंह धनानी जाति सिंधी निवासी रामनुज कोट पुष्कर रोड, अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर जिला अजमेर

..... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री शुभकरणसिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 22.03.2017

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम अजयसर की वादग्रस्त आराजी ख0सं0 382 मिन रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा एवं 383 मिन रकबा 3 बिस्वा 10 बिस्वान्सी में ईंट भट्टा संचालित किया जाने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट (खातेदार) के विरूद्ध धारा 90 ए राज0 भू0 राज0 अधि0 1956 अन्तगर्त प्रकरण सं0 67/12 दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। जवाब नोटिस मय दस्तावेज प्रस्तुत होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.2012 को अपीलान्ट द्वारा संचालित ईट भट्टे से बेदखल व ध्वस्त करने के आदेश मय शास्ति कायमी के पारित किये गये। जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पों0 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। अपील बहस सुनी गई।

अपीलान्ट अभिभाषक ने बहस दौरान अपील कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम अजयसर की वादग्रस्त आराजी ख0सं0 382 मिन रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा एवं 383 मिन रकबा 3 बिस्वा 10 बिस्वान्सी का अपीलान्ट रिकार्डेड खातेदार है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 08.03.11 द्वारा ग्राम अजयसर का क्षैत्र नगर सुधार न्यास की परिसीमा में आ गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत आराजी के वाणिज्य प्रयोजनार्थ भूमि के रूपान्तरण हेतु नगरपालिका पुष्कर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर शुल्क 38,552/– रूपये जमा करवाये गये है। इसके बावजूद तहसीलदार अजमेर द्वारा अपने क्षैत्राधिकार के बाहर जाकर वादग्रस्त आराजी को केचमेंट एव डूब क्षैत्र में मानकर कानूनी प्रावधानों का अवलोकन किये बिना सरसरी तौर पर आक्षेपित निर्णय पारित किया है जो काबिले निरस्त है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.09.2012 निरस्त फरमाया जावें।

22/03/17

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

जवाब में राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति के कृषि भूमि पर ईंट भट्टा निर्माण कर कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ (व्यवसायिक) उपयोग कर लिया है, जो नियम विरूद्ध हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जावें।

हमने बहस पर मनन किया पत्रावली का अवालोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के ईंट भट्टा निर्माण कर कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया है, जो विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में माननीय हाई कोर्ट की हाई पावर कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण के दौरान उक्त खातेदारी भूमि को फायसागर झील के केंचमेंन्ट फ्लो एवं डूब क्षैत्र में होने का उल्लेख किया गया है। अपीलान्ट द्वारा वाद ग्रस्त भूमि पर स्थापित/संचालित ईंट भट्टा कानूनी प्रावधानों के तहत होने बाबत कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये गये है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायोचित है, इसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझतें है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारीज की जाती हैं।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 22.03.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

22/03/17

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner